"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 अप्रैल 2016—वैशाख 9, शक 1938

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती मीना यादव धर्मपत्नी स्व. हरिशचन्द्र यादव, उम्र 34 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 07,चटाईशीट अहिवारा, थाना नंदनी, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मेरी पुत्री कु. गौरी यादव, कक्षा 8वीं तथा मेरा पुत्र उमेश यादव, कक्षा 6वीं एवं शुभम यादव, कक्षा 3री में हेमन्त पूर्व माध्यमिक शाला नंदनी में नियमित छात्र है. मेरे पुत्री एवं पुत्र के विद्यालयीन समस्त दस्तावेजों में माता का नाम लता यादव दर्ज हो गया है. मेरा वास्तविक नाम मीना यादव है. मेरे पति मुझे प्यार से लता यादव पुकारते थे. इसी तरह मेरे पति का नाम मेरे छोटे पुत्र के स्कूल रिकार्ड में हरिचन्द्र लिखा गया है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती मीना यादव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती मीना यादव धर्मपत्नी हरिशचन्द्र यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

लता यादव
धर्मपत्नी स्व. हरिचन्द्र यादव
निवासी-वार्ड नं. 07,चटाईशीट अहिवारा
थाना नंदनी, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

श्रीमती मीना यादव
धर्मपत्नी स्व. हरिशचन्द्र यादव
निवासी-वार्ड नं. 07,चटाईशीट अहिवारा
थाना नंदनी, तहसील अहिवारा, जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सवरपु राजकुमार आत्मज स्व. सवरपु बालाराजू, निवासी-क्वा. नं. 6/बी, सड़क नं. 1, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे आवश्यक दस्तावेजों एवं शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम त्रुटिवश स्वरूपा राजकुमार (Swaropa Rajkumar) पिता का नाम एस. बालराजू (S. Balraju) तथा माता का नाम स्वरूपा कुरूपा (Swaropa Kurupa) दर्ज हो गया है जो कि गलत है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नाया नाम सवरपु राजकुमार रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे सवरपु राजकुमार आत्मज सवरपु बालाराजु माता सवरपु क्रूपामनी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
स्वरूपा राजकुमार (Swaropa Rajkumar) पिता एस. बालराजू (S. Balraju) निवासी- क्वा. नं. 6/बी, सड़क नं. 1, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	सवरपु राजकुमार (Savarapu Rajkumar) पिता सवरपु बालाराजू (Savarapu Balaraju) निवासी- क्वा. नं. 6/बी, सड़क नं. 1, सेक्टर 10, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, गायत्री साहू पति श्री सुधीर कुमार साहू, उम्र 49 वर्ष, निवासी- म. नं. 37/2 सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि मैं गृहणी हूं तथा मेरे से संबंधित दस्तावेजों में मेरा नाम गायत्री बाई लिखा हुआ है तथा कुछ दस्तावेजों में गायत्री साहू दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम गायत्री साहू रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे गायत्री साहू पति श्री सुधीर कुमार साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
गायत्री बाई पति श्री सुधीर कुमार साहू निवासी- म. नं. 37/2 सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	गायत्री साहू पति श्री सुधीर कुमार साहू निवासी- म. नं. 37/2 सी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नेतू राम कोसमा पिता श्री दशरथ लाल कोसमा, जाति हल्बा, उम्र 45 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 9/डी, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड में मेरे पुत्र का नाम रवि कुमार दर्ज हो गया है जबकि मेरे पुत्र का सही व पूरा नाम रवि कुमार कोसमा है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम रवि कुमार कोसमा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मेरे पुत्र को रवि कुमार कोसमा पिता श्री नेतू राम कोसमा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रवि कुमार (Ravi Kumar) पिता श्री नेतू राम कोसमा निवासी– क्वा. नं. 9/डी, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	रवि कुमार कोसमा (Ravi Kumar Kosma) पिता श्री नेतू राम कोसमा निवासी– क्वा. नं. 9/डी, सड़क नं. 1, सेक्टर 4, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शांति प्रधान पति श्री मोहन लाल प्रधान, आयु 41 वर्ष, निवासी–क्वा. नं. 4 एफ, सड़क क्रास स्ट्रीट 3, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम शांति पिता जगत राम था तथा मेरे समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह दिनांक 26–4–1999 को श्री मोहनलाल प्रधान के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती शांति प्रधान रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती शांति प्रधान पति श्री मोहन लाल प्रधान के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
शांति पिता जगत राम निवासी– क्वा. नं. 4 एफ, सड़क क्रास स्ट्रीट 3, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती शांति प्रधान पति श्री मोहन लाल प्रधान निवासी– क्वा. नं. 4 एफ, सड़क क्रास स्ट्रीट 3, सेक्टर 6, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मस्तूरी, जिला-बिलासपुर (छ. ग.)

रा. प्र. क्र./01/ब-113 (2)/2014-15
प. ह. नं.-13, ग्राम खम्हरिया

मस्तूरी, दिनांक 14 मार्च 2016

प्रारूप 4
[नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) की धारा 5 की उपधारा (2) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा]

क्रमांक 606/अविअ/वाचक-1/2016.— चूंकि आवेदक प्रबंधक, आवेदक बलीराम साहू पिता स्व. श्री कामता प्रसाद मुकाम मड़ई, पोस्ट खम्हरिया तहसील मस्तूरी जिला बिलासपुर "माता भगवती देवी चेतना ट्रस्ट" एवं अन्य सदस्यों के द्वारा माता भगवती देवी चेतना ट्रस्ट को छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 13-04-2016 को विचार के लिए लिया जावेगा.

अत: मैं ओ. पी. वर्मा, अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट मस्तूरी, जिला बिलासपुर (छ. ग.) का लोक न्यासों का पंजीयक, अपने न्यायालय में दिनांक 14-03-2016 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के द्वारा यथा अपेक्षित जॉच करना प्रतिस्थापित करता हूं.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति को कोई न्यासी या कार्यकारी न्यासी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक मास के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करता है और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभावक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	लोक न्यास का नाम व पता	:	"माता भगवती देवी चेतना ट्रस्ट" गायत्री, प्रज्ञापीठ खम्हरिया, विकास खण्ड मस्तूरी, जिला-बिलासपुर.
(2)	चल संपत्ति	:	निरंक
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

ओ. पी. वर्मा,
अनुविभागीय अधिकारी (रा) एवं पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2016

क्रमांक/परि./2016/1215 .—वैंकटेश्वर महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मटियारी पं. क्र. 341 दिनांक 15-09-2015, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को परिसमापन में लाने संबंधी छ. ग. सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक/उपबि/परि./2016/817 दिनांक 29-02-2016 के द्वारा दिया गया था. संस्था नवीन पंजीकृत है नियमानुसार संस्था का निर्वाचन ड्यू होने के कारण प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था द्वारा प्रस्तुत जवाब अनुसार संस्था के सदस्यों द्वारा संस्था के निर्वाचन कराये जाने में असमर्थता व्यक्त की गई है एवं संस्था को परिसमापन में लाने की अनुसंशा की गई है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर छ. ग. सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये वैंकटेश्वर महिला बहुद्देशीय सहकारी समिति मर्या. मटियारी पं. क्र. 341 दिनांक 15-09-2015, विकास खण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् परिसमापन में लाता हूं तथा श्री अरूण कुमार शर्मा सहकारिता विस्तार अधिकारी बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 08 अप्रैल 2016

क्रमांक/परिसमापन/पुर्नजीवित/2016/1222 .— ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. गौरेला, पं. क्र. 2561 दिनांक 19-09-1959, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक कु. सोनिया देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी गौरेला, द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 12-03-2016 को की गई है, जिसमें संस्था को पुर्नजीवित किया जाकर सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपविधि तथा समय-समय पर शासन द्वारा बनाये गये नियमों के तहत कार्य करने का निर्णय लिया गया है एवं संस्था का वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक का अंकेक्षण कराया जाने हेतु आमसभा में निर्णय प्रस्ताव प्रस्तुत किया है अत: सदस्यों के हित में परिसमापक कु. सोनिया देवांगन, सहकारिता विस्तार अधिकारी गौरेला के प्रतिवेदन से मैं सहमत हूं.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/एफ/15-19/15-02/2012/03 दिनांक 04 मई 2012 के द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसाइटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (4) के तहत् ग्रामोद्योग सहकारी समिति मर्या. गौरेला, पं. क्र. 2561 दिनांक 19-09-1959, विकासखण्ड बिल्हा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित करता हूं एवं आगामी 03 तीन माह तक संस्था के कार्यकारिणी के कार्य संचालक हेतु तात्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूं.

डी. आर. ठाकुर,
उप पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.